झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक-16.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	डॉ0 सरफराज अहमद स0वि0स0	वर्ष 1948 में डी0वी0सी0 की नींव रखी गयी। एकीकृत बिहार के बँटवारे के बाद दामोदर नदी की पूरी घाटी की देखरेख अब झारखण्ड सरकार के जिम्मे हैं। संसद ने कानून बनाकर डी0वी0सी0 को क्षेत्रीय विकास की जिम्मेदारी सौंपी जिसमें बाढ़, मिट्टी कटाव और सिंचाई के बाद बिजली उत्पादन ही इस निगम का अंतिम लक्ष्य था जो अब पहले स्थान पर है, बाकी के लक्ष्य डी0वी0सी0 कभी पूरी नहीं कर सका जिसका सर्किल खामियाजा झारखण्ड जल, जमीन और जंगल की आहुति देकर कर चुका है। मसानजोर जलाशय योजना के निर्माण हेतु 12 मार्च 1949 को तत्कालीन बिहार एवं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एग्रीमेन्ट किया गया था। ज्ञात हुआ है कि उक्त एग्रीमेन्ट की प्रति झारखण्ड सरकार के पास नहीं है। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उक्त एग्रीमेन्ट की प्रति उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा बंगाल सरकार से भी एग्रीमेन्ट की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। मसानजोर डैम का सम्पूर्ण जल संग्रहण एवं डूब क्षेत्र झारखण्ड राज्य में अवस्थित है, जिसके निर्माण के	जल संसाधन

01.	02.	03.	04.
		लिए झारखण्ड राज्य की जमीन ली गयी थी। द्वितीय बिहार सिंचाई आयोग प्रतिवेदन के अनुसार मसानजोर डैम से राज्य को 8,100 हेक्टेयर खरीफ एवं 1050 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु अब तक झारखण्ड के हिस्से का जल प्राप्त नहीं हुआ। विदित है कि मसानजोर डैम का सम्पूर्ण जल संग्रहण एवं डूब क्षेत्र झारखण्ड राज्य में होने के बावजूद उक्त डैम से झारखण्ड राज्य को सिंचाई के लिए उचित हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। अतः राज्यहित में वर्णित मामले पर अविलम्ब कार्रवाई कराने हेतु सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
02-	श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0 श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन स0वि0स0 श्री समीर कुमार मोहन्ती स0वि0स0	नगर विकास एवं आवास विभाग के विज्ञापन सं0-01/सा0-स्था0-41/2017-4967, दिनांक- 09.10.2018 द्वारा कनीय अभियंता (Civil, Electrical, Mechanical) के कुल 141 संविदा पद हेतु दिनांक-05.11.2018 तक अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। जिसमें प्रत्येक अभ्यार्थी से 2,000/- रू0 (UR, ST/SC सहित) शुल्क लिया गया था जबकि JPSC में उच्चतर एवं स्थायी पदों के लिए आवेदन शुल्क 100/-रू0 (UR) एवं 50/-रू0 (ST/SC) है जो नगर विकास एवं आवास विभाग से बहुत ही कम है। परन्तु आज तक विभाग ने न तो परीक्षा आयोजित किया और न ही परीक्षा शुल्क वापस किया। विभाग में कनीय अभियंताओं की कमी से कार्य भी प्रभावित हो रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते है कि सरकार जल्द से जल्द उक्त परीक्षा आयोजित करें या अभ्यार्थियों का सूद सहित परीक्षा शुल्क वापस करें।	नगर विकास एवं आवास

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
03-	श्री जय प्रकाश भाई पटेल स0वि0स0 श्री भानु प्रताप शाही स0वि0स0 श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	हजारीबाग जिलान्तर्गत नरकी से बनासो विष्णुगढ़ होते हुए एन0एच0-2 बगोदर के रास्ते 6 लेन में उपयोग किये जा रहे बी0टी0पी0एस0 से निष्कासित छाई की ढुलाई भारी वाहनों जैसे- हाईवा, डम्फर, ट्रक इत्यादि के द्वारा प्रतिदिन व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है जिसमें सरकारी प्रदूषण से बचाव हेतु किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा है, धूल-कण उड़ने के कारण राहगीरों एवं पथ के किनारे बसे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गम्भीर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं तथा इस परिचालन से प्रतिदिन दुर्घटनायें भी हो रही है, इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन को कई बार पत्राचार कर ध्यानाकृष्ट किया गया है, परन्तु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अतः ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं कि नरकी से विष्णुगढ़ 7 मील मोड़ तक भारी वाहनों के परिचालन हेतु **No Entery** (प्रवेश निषेध) की व्यवस्था की जाय ताकि जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।	परिवहन
04-	डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0	बोकारो जिलान्तर्गत कसमार, पेटरवार और गोमिया प्रखण्ड अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है जिसके कारण इस तीनों प्रखण्ड में बहुत लम्बे समय से विकास कार्य बाधित हैं। वर्त्तमान में तेनुघाट डैम से कसमार प्रखण्ड के 10 गाँवों को तथा पेटरवार प्रखण्ड के 29 गाँवों को जलापूर्ति हेतु बहुग्रमीण जलापूर्ति योजना का कार्य अन्तिम चरण में है। कसमार प्रखण्ड के शेष 66 गाँवों के लिए 126 करोड़ रूपये तथा पेटरवार प्रखण्ड के शेष 12 गाँवों के लिए 26 करोड़ रूपये की बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना की तकनीकि स्वीकृति हो चुकी है, और SLSC की बैठक से भी पारित हो चुका है। परन्तु, लम्बे समय से प्रशासनिक स्वीकृति लम्बित है। तथा गोमिया प्रखण्ड के शेष बचे ग्रामों टोलों में पाईप जलापूर्ति	पेयजल एवं स्वच्छता

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		योजना (स्त्रोत दामोदर नदी) के चार जोन के लिए कुल 115.32 करोड़ रूपये की तथा धवैया ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 21.43 करोड़ रूपये की योजना की तकनीकि एवं प्रशासनिक स्वीकृति लम्बित है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार को कसमार, पेटरवार एवं गोमिया प्रखण्ड के शेष बचे ग्रामों, टोलों में पाईप जलापूर्ति योजना के तहत जलापूर्ति हेतु शीघ्र पूर्ण अच्छादित करने की माँग करता हूँ।	
05-	अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0 डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0	साहेबगंज जिला का राजमहल विधान सभा क्षेत्र गंगा तट व मध्य दियारा क्षेत्र में अवस्थित है, जो दो राज्यों यथा प0 बंगाल एवं बिहार के सीमावर्त्ती क्षेत्र में पड़ता है और यह सौभाग्य का विषय है कि राज्य अन्तर्गत साहेबगंज जिला में गंगा नदी अविरल प्रवाहित है। आजादी पूर्व से ही साहेबगंज एवं राजमहल में गंगा पुल की निर्माण की मांग होती रही है। जहाँ एक ओर साहेबगंज-मनीहारी गंगा पुल का निर्माण से बिहार राज्य एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्य से सम्पर्क स्थापित होगा वहीं दूसरी ओर राजमहल (झारखण्ड)-मानिकचक (प0 बंगाल) के मध्य गंगा नदी पर पुल निर्माण होने से उत्तर बंगाल व पूर्वोत्तर राज्य से सीधे सम्पर्क स्थापित हो पाएगा, जो सामाजिक, आर्थिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत **राजमहल (झारखण्ड)-मानिकचक (प0 बंगाल) के मध्य गंगा नदी पर पुल निर्माण** कराया जाय।	पथ निर्माण

राँची,
दिनांक- 16 मार्च, 2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-03/2021-1348/वि0 स0, राँची, दिनांक- 15/3/21

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ जल संसाधन विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ परिवहन विभाग/ पेय जल एवं स्वच्छता विभाग एवं पथ निर्माण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0ध्या0-03/2021-1348/वि0 स0, राँची, दिनांक- 15/3/21

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-